

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/एनिकट निर्माण-3/2020-21/6541-5)

दिनांक : 19/2/2021

अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
जल संसाधन संभाग,
उदयपुर।

विषय:- एनिकट निर्माण कार्य कुराबड ग्रा.पं. बेमला पं.स. कुराबड की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ : आपका पत्रांक 7090-93 दिनांक 26.12.2019 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 12030-36 दि. 08.03.2019 द्वारा एनिकट निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या-6 अनुसार राशि रु. 81.62 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- जल संसाधन विभाग

(राशि लाखों में)

क.स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
		क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	एनिकट निर्माण कार्य कुराबड ग्रा.पं. बेमला पं.स. कुराबड	12030-36 08.03.2019	80.00	79/2019-20	81.62

उपरोक्त कार्य की राशि शासन से प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

उक्त कार्य की राशि आपके विभाग को प्राप्त होने पर ही कार्यादेश जारी करे।

कार्यों के संपादन में प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर जारी कार्यादेश अनुसार ही कराया जावे एवं किसी भी स्थिति में कार्यादेश से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व geo-tagging कर कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित किया जावे तथा फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावे जिन्हें विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया जा सके।

कृ.पू.उ.

6. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, **उदयपुर** द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी।
7. कार्यकारी एजेन्सी उन्हें उपलब्ध कराई गई राशि की कार्य की प्रगति एवं व्यय अनुसार नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उपलब्ध करायेगे।
8. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावें।
9. स्वीकृत कार्य की **geo-tagging** कर तकमीने मे कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे।
10. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।



(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/एनिकट निर्माण-3/2020-21/ 6541-51 दिनांक : 19²/₃2021
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर ।
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमित निरीक्षण करें।
6. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड उदयपुर को भेजकर लेख है कि कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
8. निदेशक, मोनटरिंग कार्यालय हाजा।
9. उप निदेशक (कम्प्यूटर), कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।



अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर